

फैसला मुकदमा की मारि
मुकदमा नं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

तारीख
हुकम

19.05.2026


प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण
मुकदमा संख्या 11/2026
धारासिंह व अन्य
बनाम

श्री नवनीत कुमार उपखण्ड अधिकारी सिकराय व अन्य

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री विनोद कुमार विजय उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 एवं 20-28 उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण मुकदमा संख्या 164/2020 उनवानी रूपनारायण बनाम धारासिंह में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2025 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में अपील पेश कर रखी है। प्रकरण अपीलेट न्यायालय के अध्यक्षीन होने से प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण



खारिज फरमावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थीगण के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षगण द्वारा इस तथ्य से सहमत होना व्यक्त किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.11.2025 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में अपील में विचाराधीन होकर प्रकरण अपीलेट न्यायालय के अध्यक्षीन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 164/2020 उनवानी रूपनारायण बनाम धारासिंह को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थीगण धारासिंह, नवल पुत्रान रघुवीर जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला कलक्टर, दौसा